निविदा सूचना कार्यालय उपायुक्त, कैथल

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ द्वारा जारी हिदायत क्रमांक–16/7/2015–1जी.एस.11 दिनांक–06–04–2015 द्वारा जारी आउटसोर्स पोलिसी के अन्तर्गत अनुबन्ध आधार पर ड़ी0सी0 रेट पर उपायुक्त कार्यालय कैथल मे 6 लिपिक, 16 सेवादार, 9 चालक, 1 लिफट आप्रेटर जो कि जरूरत के अनुसार घटाये या बढाये जा सकते हैं की नियुक्ति एक साल या रैगुलर कैण्डीडेट आने तक के लिए करने बारे सर्विस प्रोवाईड़ करवाने हेतु रिप्यूटिड़ एजैन्सियों से मोहरबन्द निविदायें दिनांक–26.03.2018 तक सांय 4–00 बजे तक इस कार्यालय मे आमन्त्रित की जानी है। सभी निविदाएं उसी दिन 4–00 बजे के बाद एजैन्सी या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएंगी। रेप्यूटिड एजैन्सी के पास निम्नलिखित आवश्यक प्रमाण पत्र होने चाहिए।

1. रजिस्ट्रेशन पत्र फार्म सी रूल (9)
2. ई0एस0आई0
3. ई0पी0एफ0
4. सर्विस टैक्स नम्बर
5. चयनित एजैन्सी को 1,00,000/–(एक लाख)रूपये की राशि बतौर प्रतिभूति उपायुक्त कार्यालय कैथल मे जमा करवानी होगी।
6. यह सभी निविदायें दिनांक–26.03.2018 को सांय 4.00 बजे तक इस कार्यालय मे पहुंच जानी चाहियें। जिसका रेट कम होगा उसी की निविदायें मंजूर की जाएगी।
7. यह निविदायें नगराधीश कैथल की अध्यक्षता में खोली जायेंगी। उपायुक्त महोदया कैथल को बिना कारण बताये निविदायें रद्ध करने का अधिकार होगा।

शर्तें:–

1. ठेके की अवधि एक वर्ष तक होगी यदि इस अवधि मे कार्य सन्तोष जनक पाया गया तो अवधि बाकी समय के लिए बढा दी जाएगी।
2. निविदा फार्म से सम्बन्धित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी सील बन्द लिफाफे मे कार्यालय जिला सचिवालय कैथल मे निविदा खुलने से पहले पंजीकृत डाक द्वारा जमा होने अनिवार्य है। ऐसा न करने की सूरत मे सम्बन्धित एजैन्सी की निविदां नही खोली जाएगी और निविदा रद्ध कर दी जाएगी।
3. एजैन्सी/फर्म/ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई सिक्योरिटी की राशि कार्य अवधि समाप्त होने के पश्चात बिना ब्याज के वापिस की जाएगी।
4. अगर ठेकेदार/फर्म/एजैन्सी की सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित फोटोप्रति निर्धारित तिथि तक पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला सचिवालय कैथल मे प्राप्त नही होती है तो उसकी ई–निविदा नही खोली जाएगी अथवा रद्ध कर दी जाएगी।
5. ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर उसकी अदायगी एग्रीमैन्ट/टैण्डर मे दी गई शर्तो के अनुसार सभी टैक्स काटकर प्रति माह बिल की अदायगी की जाएगी।
6. ठेका स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार उपायुक्त कैथल के पास होगा।
7. उपायुक्त कैथल को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए निविदाओं को रद्ध कर दें जिसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/एजैन्सी को कोई एतराज न होगा।
8. यदि ठेकेदार/फर्म द्वारा कोट किया गया रेट समान आता है तो इसका निर्णय का अधिकार उपायुक्त कैथल को होगा।
9. चयनित एजैन्सी को 1,00,000/–(एक लाख) रूपये की राशि का ड्राफट उपायुक्त कार्यालय मे जमा करवाना होगा।
10. एजैन्सी हरियाणा सरकार की दिनांक–06.04.2015 की आउटसोर्सिंग पोलिसी की सभी शर्तो को पूर्ण करेगी।
11. Also mention that experienced will be given preference.

कृतेः उपायुक्त, कैथल।